

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 - 04/2015

तारीख रजू - 02.03.2015

उनवान

जमालू पुत्र लम्बे जाति मुसलमान निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

- सायल

विरुद्ध

भूरसिंह पुत्र गन्जे

बलवीर पुत्र भूरसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

- गैरसायलान

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति


श्री हरकेश मीना एडवोकेट - वकील सायल

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट - वकील गैरसायलान

निर्णय


दिनांक :- 13.04.2017

सायल ने प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 691 रकवा 0.21 हेक्टर ग्राम निसूरा तहसील टोडाभीम में स्थित है जिसमें सायल 1/14 हिस्से का खातेदार है शेष हिस्से के अन्य सह खातेदार हिस्सेदार है। आराजी खसरा नं0 691 के साथ साथ उपरोक्त खाते में अन्य आराजी कुल कित्ता 11 कुल रकवा 1.44 हेक्टर जिसमें वादी सायल वहिस्सा 1/14 हिस्से का हिस्सेदार है तथा बाहमी बटवारे में सायल के हिस्से में खसरा नं0 691 आया है। गैरसायलान का उपरोक्त आराजी से कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है। गैरसायलान लठैत मुठमर्द व गिरोहवंद व्यक्ति है जिन्होंने एक गिरोह गठित कर रखा है तथा वे येन केन प्रकारेण सायल को अपनी आराजी से महरूम रखकर उसपर कब्जा करना चाहते हैं तथा सायल को अपनी फसल से वंचित रखना चाहते हैं। उक्त आराजीयात सायल एवं अन्य सहखातेदार की


उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

आराजी है जिससे सायल व अन्य सहखातेदारों के अलावा प्रतिवादीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है। वाका दिनांक 28.02.2015 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादी अपनी आराजी खसरा नं० 691 में खड़ी फसल की देखभाल कर रहा था कि प्रतिवादीगण/गैरसायलान एक राय होकर आ गये तथा गाली गलौच करने लगे कि तेरी इस आराजी पर आने की हिम्मत कैसे हुई, इस पर सायल द्वारा उन्हें समझाया कि भाइयो कि उक्त आराजी मैंने काशत की है तो देखभाल में ही करूंगा इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये कि फसल को हम ही दरोह करेंगे तथा तूने कोई कानूनी कार्यवाही की तो तेरे पैर तोड़ देगे तेरी समस्त आराजी पर कब्जा करके तुम्हें गाँव से भगा देंगे। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेषण में कामयाब हो गये तो रकसायल के अपूतर्नीय क्षति हो जावेगी। सायल के पक्ष में प्राईमाफेसी केस सावित है सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नहीं है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायल को अपूतर्नीय क्षति हो जावेगी तथा रिलिफ चाही है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अज्र से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नं० 691 रकवा 0.21 हेक्टर ग्राम निसूरा सायल के कब्जे काशत में मजाहमत मदाखलत नहीं करे। सायल को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायल पर प्रतिकूल प्रभाव पडें। मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर नोटिस विपक्षीगण को जारी किये गये। विपक्षीगण के वकील ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया तथा जबाब में कथन किया कि भूमि खसरा नं० 691 के साथ साथ अन्य खसरा नम्बरान में सायल के नाम हिस्सा 1/4 की खातेदारी दर्ज है। सायल ने अपनी खातेदारी की भूमि को गैरसायल भूरसिंह को मिति भादो सुदी दौज सम्वत् 2067 को विक्रय कर दिया है तथा इस विक्रय के संबंध में वादी जमालू खॉ ने गैरसायल भूरसिंह के हक में तथा भूरसिंह की बही में एक लिखावट लिख दी है। सायल जमालू खॉ ने प्रतिवादी भूरसिंह से राशि 1,21,900 रुपये रोकड़ी दो रूपया सैकडा प्रतिमाह की दर से नगद उधार लिये थे तथा यह भी इकरार किया था कि भविष्य में रूपया जमा नहीं कराउ तो खेत सभला दूगों तथा ये खेत ट्यूबवैल के पास का है जिसका खसरा नं० 691 है इस लिखापट्टी पर जमालू खान के हस्ताक्षर हैं तथा बोदयाराम ने अपनी कलम से तहरीर व तकमील किया है इसके बाद मुताबिक मुहायदा सायल जमालू खान ने


उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

गैरसायल भूस्मिंह के नमद शशि व ब्याज अंदा नही किये है तथा खुद खंय जमालू खान ने विवादित खेत पर गैरसायल भूस्मिंह का मौके पर कब्जा सभला दिया और कहा कि इस खेत का मालिक भूस्मिंह ही रहेगा। इस प्रकार गैरसायल भूस्मिंह का इस विवादित भूमि पर भादो सुदी दौज सम्वत् 2068 से आज तक वैध व सहमति से कब्जा है तथा सायल जमालू की नियत मे बेईमानी है और वह इस प्रार्थनापत्र के जारिसे गैरसायल से भूमि को जबरतरती बेईमानी पूर्वक छीनना चाहता है जिसकी इजाजत कानूनन नही की जा सकती है। भूमि विवादित पर सायल का कब्जा नही है तथा प्रार्थनापत्र मे कब्जे वापसी की रिलिफ भी सायल ने नही चाही है और रूटीन तरीके से तथ्यो को धुपाकर प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा मे पेश कर दिया है जो कानूनन खारिज होने योग्य है। सायल जमालू ने इस विवादित भूमि को गैरसायल से बेईमानी पूर्वक छीनने की गरज से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जमालू ने अपनी पत्नि की तरफ पुलिस थाना श्रीमहावीरजी मे प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 226 दिनांक 16.11.2014 कतई झूठी व भूमि को छीनने की गरज से दर्ज कराशी थी तथा दौराने तफतीश पुलिस थाना श्रीमहावीरजी ने इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को झूठी मानते हुये गैरसायल भूस्मिंह के खिलाफ धारा 447 आई०पी०सी० मे चार्जशीट पेश की है जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल भूस्मिंह का विवादित भूमि पर प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व वैध कब्जा था इसलिये प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाये।

दौराने बहस वकील सायल ने प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि सायल भूमि विवादित मे हिस्सा 1/14 के खातेदार काश्तकार है तथा रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की है। विपक्षीगण के वकील ने दौराने बहस जवाबदाये मे उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाये। गैरसायलान ने अपने सबूत मे नकल चार्जशीट, एफ०आई०आर० सं० 226/14 थाना श्रीमहावीरजी नकल बयान धारा 161 जाब्दा फौजदारी, नकल विक्रयनामा बही गिति भादो सुदी दौज सम्वत् 2067 प्रस्तुत की तथा कथन किया कि इसी विवादित भूमि के संबंध मे उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट जमालू की पत्नि श्रीमति सशिफन ने दर्ज कराई थी जिसमे दौराने तफतीश पुलिस ने कब्जा गैरसायलान का माना है तथा बयानो मे भी कब्जा गैरसायलान का कथन किया है। विक्रयपत्र मे भी भूमि विवादित को जमालू द्वारा गैरसायलान को विक्रय करने का उल्लेख भी किया है।

मेने पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। दोनो पक्षो के वकीलो की बहस सुनी। उपलब्ध रिकार्ड से सायलान का भूमि विवादित का


उप जिला कलेक्टर
देहाघोम (करौली)

कब्जा साबित नहीं है और कब्जे के अभाव में प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकर कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।




(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
बोडवासीम (करगिल)